फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

सुरजन बनाम जगदीश वगै0

किस्म मुकदमा : **दावा**

मु0नं0 179/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2022	पत्रावली पेश । वकील उभयपक्ष उपस्थित आए। प्रार्थना पत्र बाबत काय मुकाम पेश किया गया। संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस दावा सुनी गई। वादी वकील द्वारा कथन किया गया कि वादीगण के पिता रामधन के नाम दर्ज भूमि के हिस्से की उदघोषणा वादीगण के नाम दर्ज की जावे क्योंकि वादीगण के पिता रामधन के नाम ग्राम छोंकरवाड़ा के खाता संख्या 400/291 में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2072–75 हिस्सा 1/10 खाता संख्या 264/261 सम्वत 2072–75 हिस्सा 1/5 एवं खाता संख्या 356/350 हिस्सा 1/10 सम्वत 2072–75 दर्ज रिकॉर्ड है। रामधन फौत हो चुका है। उक्त खातेदार रामधन के वारीसान वादीगण है, वादी संख्या 1 रामधन का रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर दत्तक पुत्र है।उक्त रजिस्टर्ड गोदनाम आज दिनांक तक विधिमान्य है तथा उक्त गोदनामे को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इसलिए उक्त भूमि में रामधन के नाम दर्ज हिस्से की उद्‌घोषणा वादीगण के नाम की जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा रामधन के नाम दर्ज हिस्से तक भूमि की उद्‌घोषणा वादीगण के नाम करने हेतु सहमति दी गई। वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबंदीयात का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम ग्राम छोंकरवाड़ा के खाता संख्या 400/291 में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2072–75 हिस्सा 1/10 खाता संख्या 264/261 जमाबंदी सम्वत 2072–75 हिस्सा 1/5 एवं खाता संख्या 356/350 जमाबंदी सम्वत 2072–75 हिस्सा 1/10 भूमि की खातेदारी में से मृतक रामधन का नाम हजफ कर उसके स्थान पर उसके कानूनी वारिसान वादीगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करने के आदेश उप तहसीलदार सिकंदरा को दिए जाते है। मुताबिक आदेश डिक्री एवं तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्त आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं गोल मोहर द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	